मानानीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और महाबीर सिंह सिंधु के सामने,

मैसर्स ब्लू आइस बार एंड रेस्टोरेंट और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—उत्तरदाता

2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या **15698**

अक्टूबर 25, 2018

हरियाणा आबकारी नीति, ***2018***-नियम ***19, 38(4)***-एल-***4/***एल-***5*** वर्ष ***2016-17, 2017-18*** के लिए दिए गए एल-***4/***एल-***5*** लाइसेंसों का वर्ष ***2018-19*** में नवीनीकरण नहीं किया गया- शराब को खुदरा में बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है ताकि दुरुपयोग न हो और शराब को बोतलों में बेचना शुरू कर दिया जाए।

अभिनिर्धारित किया कि, याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016-17 के लिए एल-4/एल-5 लाइसेंस दिए गए थे, जिन्हें वर्ष 2017-18 के लिए नवीनीकृत किया गया था। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था, क्योंकि रेस्तरां में गैर-मादक वस्तुओं की औसत मासिक बिक्री 2,00,000/- नहीं थी।

(पैरा 11)

आगे अभिनिर्धारित किया, याचिकाकर्ता नंबर 1 के मामले में अचानक, फरवरी, 2018 के महीने में गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री 45 गुना बढ़ गई और फिर मार्च, 2018 के महीने में घटकर 25 गुना हो गई। याचिकाकर्ता नंबर 2 के मामले में फरवरी, 2018 के महीने में गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री लगभग 100 गुना बढ़ गई और फिर मार्च, 2018 के महीने में घटकर 50 गुना हो गई।

(पैरा 12)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, नियमों के नियम 13 के अनुसार, किसी भी लाइसेंसधारी को अधिकार के रूप में उसके नवीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि वर्ष 2017-18 के लिए आबकारी नीति की शर्तों का अवलोकन करने के बाद, ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं है कि लाइसेंसधारी को लाइसेंस नवीनीकरण कराने का अधिकार है....... जैसा कि नियमों में निर्धारित है, ये लाइसेंस रेस्तरां में खपत के लिए पेग में शराब की बिक्री के लिए एक रेस्तरां में जारी किए जाते हैं, यह बोतलों में शराब की बिक्री के लिए नहीं है। एक बार पेग में खुदरा में शराब की बिक्री होने पर, इसका मतलब होगा कि कुछ गैर-मादक खाद्य पदार्थों की बिक्री, जो याचिकाकर्ताओं के मामले में फरवरी और मार्च, *2018* के महीनों को छोड़कर नगण्य थी, जब इसे बढ़ाया गया था अत्यधिक रूप से.......... गैर मादक खाद्य पदार्थों की बिक्री की नगण्य राशि इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि याचिकाकर्ताओं के रेस्तरां में शराब खुदरा में नहीं बेची जा

सकती है और विभाग की प्रतिक्रिया सही हो सकती है जिसके आधार पर एल-4/एल-5 लाइसेंसधारियों के अनुदान के लिए वर्ष 2018-19 की नीति में खाद्य पदार्थों की बिक्री की शर्त जोड़ी गई थी।

(पैरा 13)

आगे आयोजित, कि ऊपर वर्णित कारणों से, हमें वर्तमान याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ताओं के वकील संजय वशिष्ठ।

अंकुर मित्तल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

फतेह सैनी, प्रतिवादी नंबर 4 के वकील।

राजेश बिंदल जे.

(1) यह आदेश 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15698, 15988, 18100 और 18111 वाली याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करेगा, क्योंकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। हालांकि, तथ्यों को 2018 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15698 से निकाला गया है।

(2) याचिकाकर्ताओं, जिन्हें वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एल-4/एल-5 लाइसेंस दिए गए थे, ने शिकायत के साथ वर्तमान याचिका दायर की है कि वर्ष 2018-19 के लिए इनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता भिवानी में रेस्तरां चला रहे थे। उन्हें वर्ष 2016-17 के लिए एल-4/एल-5 लाइसेंस प्रदान किए गए थे। इसे वर्ष 2017-18 के लिए नवीनीकृत किया गया था। हालांकि, हरियाणा आबकारी नीति 2018-19 अधिसूचित होने के बाद, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था, हालांकि नवीनीकरण के लिए एक सक्षम प्रावधान है। कारण यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने रेस्तरां में गैर-मादक वस्तुओं की 2,00,000/- रुपये की औसत मासिक बिक्री नहीं की।

(4) उठाया गया तर्क यह है कि सबसे पहले, उपरोक्त आधार रिकॉर्ड पर तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की गैर-मादक वस्तुओं की औसत बिक्री 2,00,000/- रुपये प्रति माह से अधिक थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि पैरा 9.8.3 में खंड (एच), जिसे वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति में जोड़ा गया है, अल्ट्रा वायर्स है, जो उपरोक्त शर्त के लिए प्रदान करता है। वास्तव में, इस शर्त को अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है क्योंकि पुराने लाइसेंसधारकों के लाइसेंसों के नवीकरण के मामलों में भी यही लागू किया जा रहा है। लाइसेंस के नवीकरण का प्रावधान होने पर कोई नई शर्त निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि नवीकरण का अधिकार केवल पुराने लाइसेंसधारक के पास है, नए के पास नहीं। वास्तव में, नीति में ऐसी शर्त डालने का विचार याचिकाकर्ताओं की तरह

लाइसेंसधारियों को बाहर करने के लिए था। उपर्युक्त शर्त का पालन से अधिक उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि अनेक मामलों में लाइसेंसों का नवीकरण पूर्वोक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि पॉलिसी में उपरोक्त शर्त अनुरूप है, क्योंकि गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री से लाइसेंसधारियों के कारोबार का पूरा डेटा विभाग के पास उपलब्ध था, इसलिए, यह मनमाना है। विचार केवल याचिकाकर्ताओं को व्यवसाय से बाहर करने के लिए है ताकि कोई प्रतिस्पर्धा न हो और विभाग कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में एकाधिकार बनाने में सक्षम हो। याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना पॉलिसी की शर्त में बदलाव नहीं किया जा सकता था।

(5) जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एल -4 / एल -5 लाइसेंस एक बार खोलने के लिए रेस्तरां को जारी किए जाने के लिए हैं। केवल बार के लिए अलग से कोई लाइसेंस नहीं है। नीति में विभिन्न जिलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रदान किया गया है, जो जिले से जिले में भिन्न होता है। दरअसल, ये लाइसेंस जिला मुख्यालय पर ही दिए जाते हैं। जिला भिवानी के लिए, निर्धारित लाइसेंस शुल्क 9,00,000/- रुपये प्रति वर्ष है। एल-4/एल-5 लाइसेंसधारी छोटे पेग में खुदरा में शराब बेच सकते थे, लेकिन लाइसेंसों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने बोतलें बेचना शुरू कर दिया। यही कारण है कि रेस्टोरेंट में नॉन एल्कोहलिक वस्तुओं की बिक्री नहीं होती है, अन्यथा यदि रेस्टोरेंट में पेग में शराब का सेवन किया जाता है तो कोल्ड ड्रिंक और भोजन जैसी गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री हमेशा होती रहेगी। एल-4/एल-5 लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस का दुरुपयोग अधिकारियों के संज्ञान में आने पर वर्ष 2018-19 के लिए नीति में गैर मादक वस्तुओं की बिक्री के संबंध में शर्त रखी गई। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कोई लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया गया है, जो वर्ष 2018-19 के लिए नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने अपने रिकॉर्ड में हेरफेर करने की कोशिश की। उनके रेस्तरां में गैर मादक वस्तुओं का मासिक कारोबार वर्ष के पहले 9-10 महीनों के लिए कुछ हजार रुपये था, जिसे वर्ष के अंत में बढ़ाकर लाखों कर दिया गया था। नई नीति को केवल यह दिखाने के लिए अधिसूचित किए जाने के बाद भी ऐसा किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री के संबंध में नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा किया है, ताकि लाइसेंस का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(6) हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 (संक्षेप में, 'नियम') के नियम 13 को इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया था कि लाइसेंस का नवीनीकरण अधिकार का मामला नहीं है। पॉलिसी में यह केवल एक शर्त थी कि मौजूदा लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकता है, हालांकि, यह पॉलिसी में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2016-17 या 2017-18 के लिए आबकारी नीतियों में भी, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस दिए गए थे, ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि मौजूदा लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकता है, इसलिए, यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं के निहित अधिकारों में से कोई भी छीन लिया गया था, पूरी तरह से गलत धारणा है।

(7) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(8) नियमावली के नियम 38(4) में एल-4/एल-5 के रूप में लाइसेंसों के संबंध में ब्यौरा दिया गया है। वही नीचे निकाला गया है:

> "**38.**इस नियम में दिखाए गए लाइसेंस नियम 37 में निर्धारित शर्तों के अलावा प्रत्येक के तहत नोट की गई विशेष शर्तों के अधीन दिए जाते हैं।
>
> xx xx xx
>
> (4) एक रेस्तरां और बार में क्रमशः "चालू" खपत के लिए फॉर्म L.4 और फॉर्म L.5 में एक लाइसेंस: निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
>
> (क) लाइसेंसधारक बियर, जिसे खुली बोतल में भी बेचा जा सकता है, को छोड़कर परिसरों में उपभोग के लिए भारतीय निमत विदेशी मदिरा को ग्लासों में बेचेगा;
>
> (ख) 60 मिलीलीटर के एक पेग का बिक्री मूल्य 11 रुपये से कम नहीं होगा;
>
> (ग) लाइसेंसधारक फॉर्म L.23 में प्राप्तियों और बिक्री का लेखा-जोखा रखेगा और प्रत्येक महीने के अंत में आबकारी निरीक्षक को फॉर्म M.66 में प्राप्तियों और बिक्री का मासिक सही सार तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा
>
> (घ) लाइसेंसधारक भारत में निर्मित विदेशी शराब के स्टॉक को लाइसेंसशुदा परिसरों पर रखेगा और आबकारी आयुक्त, हरियाणा किसी भी समय लाइसेंसधारी द्वारा रखे जाने वाले स्टॉक की सीमा तय कर सकता है।
>
> (ङ) लाइसेंसधारक अपनी आपूर्ति उस जिले के किसी भी एल-2 लाइसेंसधारक से प्राप्त करेगा जहां ऐसा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। 500 रुपये प्रति बोतल से अधिक महंगी ब्रैड या एल-2 द्वारा बार लाइसेंसधारी को उपलब्ध नहीं कराई गई वाइन के मामले में, लाइसेंसधारी को राज्य के भीतर किसी अन्य एल-2 लाइसेंसधारक से अपनी आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी;
>
> (च) कलेक्टर किसी भी विवाद की स्थिति में शराब की दरें तय करेगा;
>
> (छ) लाइसेंसधारी को रॉयल स्टैग, रेड नाइट, बकार्डी रम, स्मरनॉफ वोदका रेंज और उससे ऊपर के ब्रांड जैसे पेय पदार्थों को बेचने की अनुमति होगी।

(9) एल-4/एल-5 लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति का खंड 9.8.1 नीचे दिया गया है:

> "**9.8.1** एल-4/एल-5 लाइसेंस हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित पर्यटक परिसरों, जिला मुख्यालय शहरों में स्थित प्रतिष्ठित होटलों और रेस्तरां को प्रदान किए जाएंगे, सिवाय इसके कि जैसा कि प्रदान किया गया है, इस उद्देश्य के लिए गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों और शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का स्तर है। समिति में तीन सदस्य होंगे अर्थात उपायुक्त, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के प्रतिनिधि और संबंधित जिलों के आबकारी एवं कराधान अधिकारी (आबकारी)/सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (आबकारी) का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) होंगे। यह समिति पहली बार बार बार लाइसेंस (एल-4/एल-5) प्रदान करने के लिए आवेदक की पात्रता का आकलन करेगी। उपरोक्त समिति एल-4/एल-5 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सिफारिश करेगी। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पर आवेदन/प्राप्ति के एक माह की अवधि के भीतर संबंधित विभाग (अग्निशमन विभाग को छोड़कर) द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा, ऐसा न होने पर इसे मंजूर कर लिया गया माना जाएगा।
>
> राज्य में कहीं भी स्थित थ्री स्टार और इससे ऊपर की श्रेणियों के स्टार होटलों को एल-4/एल-5 लाइसेंस भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एल-4/एल-5 उन स्थानों पर भी प्रदान किया जाएगा जहां एचएसआईआईडीसी ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) और थीम/विशिष्ट पार्क जैसे आईएमटी मानेसर, आईएमटी बावल, आईएमटी रोहतक, आईटी पार्क मानेसर, आईटी पार्क पंचकूला आदि विकसित किए हैं। एल-4/एल-5 उभरते लाइसेंस प्राप्त आवासीय टाउनशिप में भी प्रदान किया जा सकता है।
>
> एल-4/एल-5 लाइसेंस राज्य में कहीं भी स्थित किसी होटल को अनंतिम रूप से इस शर्त के अध्यधीन भी प्रदान किया जा सकता है कि आवेदक अनुदान के वित्तीय वर्ष के भीतर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा और उससे अधिक का सितारा वर्गीकरण प्राप्त करेगा, ऐसा न करने पर अनंतिम लाइसेंस का बाद में नवीकरण नहीं किया जाएगा। लाइसेंसधारक एल-4/एल-5 लाइसेंस प्राप्त करने के एक महीने के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(10) वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति का खंड 9.8.3 (एच), जिसे चुनौती देने की मांग की गई है, को भी नीचे उद्धृत किया गया है:

(ज) परंतु यह भी कि पिछले वर्ष अर्थात 2017-18 में संचालित एल.4/एल.5 लाइसेंस के रूप में बार लाइसेंस, केवल तभी नवीकरण के लिए पात्र होगा जब उन्होंने निकटतम एल-2 विक्रेता से औसत मासिक आधार पर आईएमएफएल/आईएफएल का न्यूनतम एक मामला और बीयर का एक मामला प्राप्त किया हो। इसके अलावा, उनके पास रेस्तरां में गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाली न्यूनतम औसत कारोबार 2 लाख रुपये प्रति माह है। औसत कारोबार की गणना पिछले वर्ष में बार के संचालन की अवधि के लिए की जाएगी और जैसा कि वैट और एसजीएसटी / सीजीएसटी रिटर्न में परिलक्षित होता है।

टिप्पणी **1:** पहले से अनुमत बिंदुओं से ऊपर कोई अतिरिक्त बिंदु, उपरोक्त सभी श्रेणियों में प्रति बिंदु वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 20% के बराबर शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि प्रति लाइसेंस अधिकतम तीन अतिरिक्त बिंदुओं की अनुमति दी जाएगी।

इसके अलावा, बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणी (डी) और (ई) में किसी भी अतिरिक्त बिंदु को ऐसे प्रत्येक बिंदु के लिए 1 लाख रुपये के बराबर शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी।

नोट **2:** खुले क्षेत्र/छत/बालकनी में अतिरिक्त बिंदु के लिए प्रावधान:

i) खुला स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जो राहगीरों के लिए खुला हो जिसका अर्थ है कि यह चार दीवारों से घिरा होना चाहिए जिसमें विनियमित प्रवेश/अस्तित्व के प्रावधान हों। खुले स्थान में मुख्य सड़क तक सीधी पहुंच/उद्घाटन नहीं होना चाहिए।

ii) यदि खुली जगह छत/छत/बालकनी है, तो यह 06 फीट की न्यूनतम ऊंचाई की दीवार/मजबूत अचल बाड़ से घिरा होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति, चाहे शराब के प्रभाव में हो या अन्यथा, दुर्घटनावश या शरारत से नीचे न गिर सके।

iii) खुले स्थान पर बैठे व्यक्तियों द्वारा पीने का कार्य, राहगीरों को दिखाई नहीं देना चाहिए ताकि उपद्रव या असुविधा या बुरी भावना पैदा हो। इसके अलावा, यदि खुली जगह आस-पास के अन्य उच्च स्थानों से दिखाई देती है, चाहे वह उसी इमारत के भीतर हो या परिवेश में, ऐसे उच्च स्थानों से दृश्यता को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि खुले स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त न हों जैसे कि वस्तुओं को बाहर फेंकना जो बाहरी व्यक्ति/राहगीरों के लिए परेशानी का कारण हो सकता है।

खुले स्थान में किसी भी संगीत या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को ऐसे खुले स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एल-12 सी लाइसेंसधारक पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे बशर्ते इन क्लबों में 25 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी।

v) ऐसे स्थानों पर खुली जगह की अनुमति नहीं दी जाएगी जो आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं।

(vi) 02 फीट से अधिक गहराई वाले वाटरपूल के आस-पास खुले स्थान की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि यह उसी घिरे हुए परिसर के भीतर होता है।

(vii) ऊपर नोट 1 में यथा उपबंधित समग्र सीमा के अध्यधीन खुले क्षेत्र/छत में केवल एक ऐसे अतिरिक्त स्थल की अनुमति दी जाएगी।

(vii) ओपन स्पेस का प्रावधान राज्य में लागू किन्हीं कानूनों/नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ix) खुले स्थान में अतिरिक्त प्वाइंट प्रदान करने के मामले की सिफारिश करते समय ओपन स्पेस का नक्शा संबंधित जिले के डीईटीसी (उत्पाद शुल्क) द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

टिप्पणी **3** किसी भी खुले क्षेत्र में संभव आदि सहित कोई शराब नहीं परोसी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित विशेष रूप से इसकी अनुमति है।

यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016-17 के लिए एल-4/एल-5 लाइसेंस दिए गए थे, जिन्हें वर्ष 2017-18 के लिए नवीनीकृत किया गया था। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था, क्योंकि रेस्तरां में गैर-मादक वस्तुओं की औसत मासिक बिक्री 2,00,000/- रुपये नहीं थी। राज्य के उत्तर के साथ अनुलग्नक आर-1 के रूप में एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए जिला भिवानी के लिए सभी एल-4/एल-5 लाइसेंसधारियों की गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री का मासिक कारोबार दिखाया गया है।

(11) उपरोक्त चार्ट के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के मामले में, जुलाई, 2017 से जनवरी, 2018 तक गैर-मादक वस्तुओं की औसत मासिक बिक्री 31,242 रुपये थी। याचिकाकर्ता नंबर 2 के मामले में यह 10,906 रुपये था। याचिकाकर्ता नंबर 1 के मामले में अचानक, गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री फरवरी, 2018 के महीने में 45 गुना बढ़ गई और फिर मार्च, 2018 के महीने में

घटकर 25 गुना हो गई। याचिकाकर्ता नंबर 2 के मामले में फरवरी, 2018 के महीने में गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री लगभग 100 गुना बढ़ गई और फिर मार्च, 2018 के महीने में घटकर 50 गुना हो गई। अप्रैल, 2018 के महीने के लिए, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने 2,02,145 रुपये में गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री की सूचना दी और उसके बाद कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। याचिकाकर्ता नंबर 2 के मामले में, अप्रैल, 2018 से, उनके रेस्तरां में गैर-मादक वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं दिखाई गई है, क्योंकि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। सात अन्य लाइसेंसधारकों के संबंध में भी यही स्थिति थी। उनमें से किसी में भी, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लाइसेंसधारियों का नवीनीकरण नहीं किया गया था। केवल वाटिका बार एंड रेस्टोरेंट को लाइसेंस का नवीनीकरण दिया गया था क्योंकि गैर-मादक वस्तुओं का उनका कारोबार नियमित रूप से लाखों में था और अंत में प्रति माह 2,00,000/- रुपये से अधिक था। अप्रैल, 2018 के महीने में औसत बिक्री 6,00,000/- रुपये से अधिक थी।

(12) नियमावली के नियम 13 के अनुसार, किसी भी लाइसेंसधारक को अधिकार के रूप में उसके नवीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि वर्ष 2017-18 के लिए आबकारी नीति की शर्तों के अवलोकन के बाद, ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं है कि लाइसेंसधारी को लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का अधिकार है। यह केवल वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति में प्रदान किया गया था। खंड 9.8.3 (एच) एक बार लाइसेंसधारी को अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने का अधिकार देता है, हालांकि, यह कुछ शर्तों के अधीन है। जब वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति में बिना किसी शर्त के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कोई शर्त नहीं थी, तो यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी निहित अधिकार को छीन लिया गया है, पूरी तरह से गलत है। लाइसेंस का नवीनीकरण करने का अधिकार केवल खंड 9.8.3 (एच) से प्रवाहित होता है, जिसके हिस्से को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी जा रही है। रेस्टोरेंट में गैर-मादक वस्तुओं की बिक्री आय से 2,00,000/- रुपये के मासिक औसत कारोबार के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा शर्त को चुनौती दी जा रही है। हमें एल-4/एल-5 लाइसेंसों के नवीकरण के लिए लगाई जा रही उपर्युक्त शर्त में कोई अवैधता नहीं मिलती है। जैसा कि नियमों में निर्धारित है, ये लाइसेंस रेस्तरां में खपत के लिए खूंटी में शराब की बिक्री के लिए एक रेस्तरां में जारी किए जाते हैं, यह बोतलों में शराब की बिक्री के लिए नहीं है। एक बार खूंटी में खुदरा में शराब की बिक्री होने पर, इसका मतलब होगा कि कुछ गैर-मादक खाद्य पदार्थों की बिक्री, जो याचिकाकर्ताओं के मामले में फरवरी और मार्च, 2018 के महीनों को छोड़कर नगण्य थी, जब इसे अत्यधिक बढ़ाया गया था। यह प्रयास केवल याचिकाकर्ताओं के मामले को आबकारी नीति में निर्धारित शर्तों के भीतर लाने के लिए था ताकि 2,00,000/- रुपये तक गैर-मादक वस्तुओं की औसत मासिक बिक्री दिखाई जा सके। गैर मादक खाद्य पदार्थों की बिक्री की नगण्य राशि इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि याचिकाकर्ताओं के रेस्तरां में शराब खुदरा में नहीं बेची जा सकती है और विभाग की प्रतिक्रिया सही हो सकती है जिसके आधार

पर एल-4/एल-5 लाइसेंसधारियों के अनुदान के लिए वर्ष 2018-19 की नीति में खाद्य पदार्थों की बिक्री की शर्त जोड़ी गई थी।

(13) ऊपर वर्णित कारणों के लिए, हमें वर्तमान याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़

-